कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 13/04/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 12.04.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बिरनो एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चोरी किया गया, इन्वर्टर, बैट्री , एलईडी टीवी व घड़ी इत्यादि सामान बरामद।

कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.02.2025 को रात्रि 11-12 बजे के मध्य स्व0 किशुन चन्द्र बखारी बाबा महाविद्यालय तियरा मे ताला तोडकर 01 अदद इनवर्टर मय बैट्री व 01 अदद सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंच मय रिमोट व एक अदद कीबोर्ड एचपी कम्पनी व 07 अदद दीवार घडी चोरी की घटना के सम्बंध में थाना बिरनो पर मु0अ0सं0 55/2025 धारा 305(A), 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण के क्रम में,

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष बिरनों के नेतृत्व में उ0नि0 श्री रोहित मिश्रा स्वाट टीम प्रभारी गाजीपुर, उ0नि0 श्री शिवानन्द मिश्रा सर्विलांस प्रभारी, उ0नि0 श्री धीरेन्द्र सिंह व उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा मय हमराह द्वारा आज दिनांक 12.04.25 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्तगण 1. सौरभ यादव व 2. विश्वजीत को चोरी के समान उपरोक्त को बेचने के लिए जाते समय नियाव पुलिया थाना बिरनो गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त सौरभ यादव के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. सौरभ यादव पुत्र श्रीलालमन यादव निवासी ग्राम जगमलजोत नवपुरा थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर
2. विश्वजीत यादव पुत्र श्री रमेश सिंह यादव निवासी ग्राम महार बुजुर्ग थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर

अपराधिक इतिहास -

1. सौरभ यादव उपरोक्त-

मु0अ0सं0 55/2025 धारा 305(ए), 331(4) ,317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
2. विश्वजीत यादव उपरोक्त-
मु0अ0सं0 55/2025 धारा 305(ए), 331(4),317(2) बीएनएस थाना बिरनो जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

1. चोरी किया गया 01 अदद इनवर्टर मय बैट्री व 01 अदद सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंच मय रिमोट व एक अदद कीबोर्ड एचपी कम्पनी व 07 अदद दीवार घडी 04 व
2. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

02. थाना सुहवल पुलिस टीम द्वारा पिकअप वाहन से वध हेतु ले जाये जा रहे 04 राशि गोवंश के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।
अपराध एवं अपारधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 12.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना सुहवल मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी एवं वाहन चेकिंग में मामूर होकर सुहवल महादेवा के पास रोड़ पर मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना कि पटकनियां-कल्याणपुर मार्ग पर कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोवंश की तस्करी की जा रही है जिन्हे गोवध हेतु बिहार ले जा रहे हैं के आधार पर ग्राम पटकनिया से 01 पिकअप को घेर लिया गया और गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया जिसके पास से तलाशी में एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा पिकअप वाहन में 04 अदद गोवंश लदे हुए थे जिनका मुंह पैर निर्दयता पूर्वक रस्सी से बंधे हुए है। पूँछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब हम लोग इन बछड़ों को बिहार ले जाकर बंगाल के व्यापारियों के अच्छे दाम मे बेचते है। बंगाल के व्यापारी इन बैलों को गोवध के लिये ले जाते है। उपरोक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सुहवल पर मु0अ0सं0 30/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मन्नू राम पुत्र स्व0 शिवबचन राम ग्राम नवली थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक - दिनांक 12.04.25

गिरफ्तारी का स्थान –शंकर जी का शिवाला वहद् ग्राम पटकनिया थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

बरामदगी- 04 अदद गोवंश, 01 अदद पिकअप वाहन, 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

03. थाना जमानिया पुलिस द्वारा 45 पाउच ब्लू लाइम देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.04.2025 को उ0नि0 श्री अजय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर सेन्ट मैरी स्कूल के पास से अभियुक्त सरविन्द उर्फ सोहन यादव पुत्र सुभाष यादव नि0 लमुई थाना जमानिया गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 45 पाउच ब्लू लाइम देशी शराब बरामद हुआ। बरामदगी को आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना जमानियाँ

गाजीपुर पर मु0अ0सं0 153/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

सरविन्द उर्फ सोहन यादव पुत्र सुभाष यादव नि0 लमुई थाना जमानिया गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी- 45 पाउच ब्लू लाइम देशी शराब

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर